न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 131 / 2010 तारीख रजू :– 23.09.2010

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह
R.A.S.

बाबूलाल बनाम श्रीराम वगैराह

दावा बाबत इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः–1.श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट प्रार्थी / प्रतिवादी सं01
2.श्री सन्तोष मुदगल एडवोकेट अप्रार्थी / वादी

निर्णय

दिंनाक :– 13-9-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी / प्रतिवादी सं01 ने दिनांक 12.12.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी दवा वादी ने खसरा नम्बर 2568 रकबा 0.38 है0 के बंटवारे एवं अपने नाम खातेदारी कराने के लिए दावा हाजा दिनांक 23.09.2010 को पेश किया है। दावा हाजा में अभी शहादत नहीं हुई है तथा दावा प्रारम्भिक स्टेज पर है। जबकि वादी व प्रतिवादी सं01 के बीच विवादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा दिनांक 26.07.1969 को, जब प्रतिवादी सं01 नावालिग था तब बंटवारा विधिवत हो गया था अैर जरिये पुस्तक संख्या1 जिल्द सं0 22 कमंक 297 पृष्ठ सं0 365 से 366 तक उप पंजीयक हिण्डौन के यहॉ रजिस्टर्ड हो गया तथा विवादित नम्बर प्रतिवादी सं01 के खातेदारी में आया जो आज दिन तक चला आ रहा है। इस कारण कानूनन दावा हाजा तकास्मा एवं घोषणा खातेदारी का बखिलाफ प्रतिवादी सं01 नहीं चल सकता है तथा कानूनन मेन्टीनेवबिल नहीं है बार्ड बाई लॉ है। अतः दावा हाजा दाखिल दफ्तर फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी का जबाव पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है [illegible] प्रार्थना पत्र महज न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए लगाया ग[illegible] उक्त प्रार्थना पत्र का कोई किसी प्रकार का औचित्य [illegible] साक्ष्य वादी की स्टेज पर चल रहा है, गवाहें से जिरह [illegible] प्रार्थना पत्र का कोई महत्व नीं है। प्रतिवादी दावे को [illegible] लम्बा करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 15:59:07
Reason: SelfAttested

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी / प्रतिवादी सं01 ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकन की बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी का दावा बंटवारा का हीं है बल्कि इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त प्रकरण में जबावदावा पेश किया जा चुका है तथा तनकीयात कायम होकर प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी में विचाराधीन है तथा साक्ष्य वादी हेतु वादी की ओर से शपथ पत्र भी पेश किये जा चुके हैं। इस प्रकार प्रकरण अंतिम स्टेज पर है। प्रतिवादी सं01 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत रजिस्टर्ड बंटवारा पत्र दिनांक 26.07.1969 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारा के मध्य पूर्व में ही विवादित आराजीयात का बंटवारा हो चुका है। उक्त बंटवारा के तथ्य को स्वंय वादी अपने वाद पत्र के मद नं03 में स्वीकार करता है। किन्तु उक्त विधिवत बंटवारा के पश्चात हुए पक्षकारान के मध्य भूमि का आपसी बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार वादी इन्द्राज दुरूस्ती का वाद लाया है। जो मैरिट पर तय होगा। इस स्टेज पर प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है। प्रार्थी को कोई आपत्ति थी तो प्रथम स्टेज पर जबावदावा पेश करने से पूर्व ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश करता। ऐसे हालात में प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 दिनांक 12.12.2013 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13-9-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 15:39:07
Reason: SelfAttested